रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072021-228273
CG-DL-E-13072021-228273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2612] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 13, 2021/आषाढ़ 22, 1943
No. 2612] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 2021/ASHADHA 22, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2021

का.आ. 2817(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना कहा गया है) द्वारा यह निदेश दिया था कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नवीन परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अपेक्षित संनिर्माण या ईआईए अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तारण या आधुनिकीकरण के कार्य को, जिसमें प्रक्रिया या तकनीक और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता में वृद्धि किया जाना सम्मिलित है, भारत के किसी भाग में केवल, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से, उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेने के पश्चात् ही आरंभ किया जाएगा ;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोवा फाउंडेशन बनाम मैसर्स सेसा स्टरलाईट लिमिटेड और अन्य के मामले में अपील के लिए विशेष छूट (सिविल) 2015 की सं.32138 द्वारा 7 फरवरी, 2018 के अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ, उन व्यक्तियों के लिए जो नए खनन पट्टे प्राप्त करने में सफल रहे हैं, नयी पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिए निदेश दिया था ;

और, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8(क) की उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि : "उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए

भी, जहां खनिज का उपयोग कैप्टिव से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख के पूर्व अनुदत्त पट्टे की कालावधि का उसके अंतिम बार किए गए नवीकरण की कालावधि के अवसान की तारीख से 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली कालावधि तक के लिए, या नवीकरण की कालावधि, यदि कोई हो, के पूरा होने तक के लिए या ऐसा पट्टा अनुदत्त किए जाने की तारीख से पचास वर्ष तक की कालावधि के लिए इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पट्टे के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया गया है, विस्तार किया जाएगा और विस्तार किया गया समझा जाएगा" ;

और, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8(क) की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि : "पट्टा कालावधि के अवसान पर पट्टे को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा" ;

और, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) को खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 2) द्वारा संशोधित किया गया तथा, अन्य बातों के साथ, कानूनी अनापत्तियों के अन्तरण के लिए उपबंध से संबंधित नई धारा 8ख अन्तःस्थापित की गई ;

और, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ख की उपधारा (2) उपबंध करती है कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टों के सफल बोली लगाने वाले और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित बोली लगाने वाले में सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, अनापत्ति, अनुज्ञप्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए वैसे ही निहित समझे जाएंगे जैसे पूर्व पट्टाधारी में थे;

और, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ख की उपधारा (3) उपबंध करती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नया पट्टा प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक, नए पट्टाधारी के लिए ऐसी भूमि पर खनन संक्रियाएं जारी रखना विधिपूर्ण होगा जिस पर पूर्व पट्टाधारी खनन संक्रियाएं कर रहा था ;

और, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के पूर्वोक्त संशोधन के अनुसरण में, ईआईए अधिसूचना, 2006 का संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1224(अ), तारीख 28 मार्च, 2020 द्वारा किया गया जिसमें यह निदेशित किया गया कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित नया पट्टा के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति विधिमान्य अर्जित किया गया समझा जाएगा और यह नया पट्टा प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उसमें उल्लिखित निबंधनों शर्तों के अनुसार नया पर्यावरणीय अनापत्ति, नया निकासी अभिप्राप्त होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, उक्त पट्टा क्षेत्र पर पूर्ववर्ती पट्टेदार का स्वीकृत पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निरन्तर खनन संक्रिया नया पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण होंगी ; परन्तु, सफल बोली लगाने वाला नया पट्टा मंजूर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा और अभिप्राप्त करेगा;

और, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) का एक बार पुनः संशोधन खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 16) द्वारा किया गया जिसमें धारा 8ख का संशोधन यह उपबंध करने के लिए किया गया कि "इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी खान के संबंध में पट्टेदार को अनुदत्त सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, अनापत्तियां, अनुज्ञप्तियां और वैसे ही अधिकार (उनसे भिन्न जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अनुदत्त किए गए हैं) पट्टा के समाप्त या उसके पर्यवसान होने के पश्चात् भी विधिमान्य बने रहेंगे और ऐसे अधिकार, अनुमोदन, अनापत्तियां, अनुज्ञप्तियां और वैसे ही अधिकार इस अधिनियम के अधीन ऐसी विधियों में उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए नीलामी के माध्यम से चयनित खनन पट्टे के सफल बोली लगाने वाले को अन्तरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे" ;

और, केन्द्रीय सरकार ईआईए अधिसूचना, 2006 के सुसंगत उपबंधों को पूर्वोक्त संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के साथ सुयोजित करना आवश्यक समझती है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के पैरा 11 में, उप-पैरा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) पूर्ववर्ती पट्टेदार में निहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति, अन्तरित पर्यावरणीय अनापत्ति की सभी शर्तों का अनुपालन करने के परिवचन के साथ नए पट्टेदार द्वारा परिवेश पोर्टल पर आनलाईन रजिस्टर करने के अधीन रहते हुए, नए पट्टे के आरम्भ की तारीख से (उस तारीख से संगणित जिसको उक्त पर्यावरणीय अनापत्ति आरम्भ में अनुदत्त की गई थी) शेष वैधता अवधि के लिए खनन पट्टों के सफल बोली लगाने वाले को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 16) द्वारा यथासंशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के निबंधनानुसार इसकी वैधता अवधि के दौरान अन्तरित की गई समझी जाएगी"।

[फा. सं. जैड-11013/47/2018-आईए.II(एम)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 2339(अ), तारीख 16 जून, 2021 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2021

S.O. 2817(E).—WHEREAS, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the EIA Notification), the Central Government directed that on and from the date of its publication, the new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the EIA notification entailing capacity addition with change in process or technology and/or product mix shall be undertaken in any part of India only after obtaining prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the afore said Act, in accordance with the procedure specified therein;

AND WHEREAS, The Hon'ble Supreme Court *vide* judgment dated the 7th February, 2018 in Special Leave to Appeal (Civil) No. 32138 of 2015 in the matter of Goa Foundation versus M/s Sesa Sterlite Ltd., &Ors., inter alia, has directed to obtain fresh environmental clearance to those who are successful in obtaining fresh mining leases;

AND WHEREAS, the sub-section (6) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) provides that: "*Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with*";

AND WHEREAS, the sub-section (4) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) provides that: "*On the expiry of the lease period, the lease shall be put up for auction as per the procedure specified in this Act*";

AND WHEREAS, *vide* the Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020), the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) was amended and, inter alia, new section 8B relating to the provisions for transfer of statutory clearances was inserted;

AND WHEREAS, sub-section (2) of section 8B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) provided that notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the successful bidder of mining leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A and selected through auction as per the procedure provided under this Act and the rules made there under, shall be deemed to have acquired all valid rights, approvals, clearances, licences and the like vested with the previous lessee for a period of two years;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 8B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) provided that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations on the land, in which mining operations were being carried out by the previous lessee, for a period of two years from the date of commencement of the new lease;

AND WHEREAS, pursuant to the aforesaid amendment to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the EIA Notification 2006 was amended *vide* notification number S.O. 1224(E) dated the 28th March, 2020 wherein it was directed that the successful bidder of the mining leases, expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired valid prior environmental clearance vested with the previous lessee for a period of two years, from the date of commencement of new lease and it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations as per the same terms and conditions of environmental clearance granted to the previous lessee on the said lease area for a period of two years from the date of commencement of new lease or till the new lessee obtains a fresh environmental clearance with the terms and conditions mentioned therein, whichever is earlier: Provided that the successful bidder shall apply and obtain prior environmental clearance from the regulatory authority within a period of two years from the date of grant of new lease;

AND WHEREAS, the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) was once again amended *vide* Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 (16 of 2021) wherein section 8B was amended to provide that "Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, all valid rights, approvals, clearances, licences and the like granted to a lessee in respect of a mine (other than those granted under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 and the rules made thereunder) shall continue to be valid even after expiry or termination of lease and such rights, approvals, clearances, licences and the like shall be transferred to, and vested; subject to the conditions provided under such laws; in the successful bidder of the mining lease selected through auction under this Act:"

AND WHEREAS, the Central Government deems it necessary to align the relevant provisions of the EIA Notification 2006 with the aforesaid amended Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957).

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, hereby makes following further amendments in the EIA Notification, namely:-

In the said notification, in paragraph 11, for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"*(3) The prior Environmental Clearance vested with the previous lessee shall be deemed to have been transferred during its validity period in terms of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) as amended by the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 (16 of 2021) to the successful bidder of the mining leases, from*

the date of commencement of new lease for the remaining validity period (calculated from the date from which the said Environmental Clearance was initially granted), subject to the new lessee registering online on PARIVESH portal along with an undertaking to comply with all the conditions of the transferred Environmental Clearance".

[F. No. Z-11013/47/2018-IA.II(M)**]**

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended *vide* the notification number S.O. 2339(E), dated the 16th June, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.13 22:12:46 +05'30'